

## आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 15 (2) अर्न्तगत वर्ष 2024-25 में कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा उपलब्ध कराई गई संस्तुति दिनांक 30.05.2024 पर आयुक्त गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग उत्तराखण्ड के अनुमोदन के आलोक में निम्न गन्ना पर्यवेक्षकों का स्थानान्तरण स्तम्भ (3) से स्तम्भ (4) में उल्लिखित जोन में करते हुये तैनात किया जाता है:-

क्रमांक	नाम गन्ना पर्यवेक्षक सर्वश्री	वर्तमान तैनाती स्थल	स्थानान्तरण उपरान्त नव तैनाती जोन /जनपद	स्थानान्तरण का आधार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आलोक वर्मा	गन्ना विकास परिषद गदरपुर ऊधमसिंह नगर	गन्ना विकास परिषद इकबालपुर हरिद्वार	22 वर्ष से अधिक समय तक एक ही जनपद ऊधमसिंह नगर में कार्यरत रहने के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 15 (2) के तहत अनिवार्य स्थानान्तरण।
2.	मो0 हसनैन	गन्ना विकास परिषद किच्छा ऊधमसिंह नगर	गन्ना विकास परिषद लकसर जनपद हरिद्वार	22 वर्ष से अधिक समय तक एक ही जनपद ऊधमसिंह नगर में कार्यरत रहने के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 15 (2) के तहत अनिवार्य स्थानान्तरण।
3.	नरेन्द्र कुमार	गन्ना विकास परिषद डोईवाला जनपद देहरादून	गन्ना विकास परिषद लकसर जनपद हरिद्वार	18 वर्ष से अधिक समय तक एक ही जनपद देहरादून में कार्यरत रहने के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 15 (2) के तहत अनिवार्य स्थानान्तरण।
4.	अरुण कुमार	गन्ना विकास परिषद लकसर हरिद्वार	गन्ना विकास परिषद सितारगंज ऊधमसिंह नगर	10 वर्ष से अधिक समय तक एक ही जनपद हरिद्वार में कार्यरत रहने के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 15 (2) के तहत अनिवार्य स्थानान्तरण।
5.	अरविन्द कुमार	गन्ना विकास परिषद इकबालपुर हरिद्वार	गन्ना विकास परिषद सितारगंज ऊधमसिंह नगर	10 वर्ष से अधिक समय तक एक ही जनपद हरिद्वार में कार्यरत रहने के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 15 (2) के तहत अनिवार्य स्थानान्तरण।
6.	अशोक कुमार	गन्ना विकास परिषद लकसर हरिद्वार	गन्ना विकास परिषद सितारगंज ऊधमसिंह नगर	10 वर्ष से अधिक समय तक एक जनपद हरिद्वार में कार्यरत रहने के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 15 (2) के तहत अनिवार्य स्थानान्तरण।
7.	बृजमोहन सैनी	गन्ना विकास परिषद इकबालपुर हरिद्वार	गन्ना विकास परिषद सितारगंज ऊधमसिंह नगर	10 वर्ष से अधिक समय तक एक जनपद हरिद्वार में कार्यरत रहने के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 15 (2) के तहत अनिवार्य स्थानान्तरण।

*Handwritten signature*

8.	दिनेश चन्द्र	गन्ना विकास परिषद किच्छा ऊधमसिंह नगर	गन्ना विकास परिषद लकसर हरिद्वार	10 वर्ष से अधिक समय तक एक जनपद ऊधमसिंह नगर में कार्यरत रहने के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 15 (2) के तहत अनिवार्य स्थानान्तरण।
9.	जय कुमार	गन्ना विकास परिषद लकसर हरिद्वार	गन्ना विकास परिषद सितारगंज ऊधमसिंह नगर	10 वर्ष से अधिक समय तक एक जनपद हरिद्वार में कार्यरत रहने के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 15 (2) के तहत अनिवार्य स्थानान्तरण।
10.	कृष्णपाल/पुत्र श्री चरत सिंह	गन्ना विकास परिषद लकसर हरिद्वार	गन्ना विकास परिषद किच्छा ऊधमसिंह नगर	10 वर्ष से अधिक समय तक एक जनपद हरिद्वार में कार्यरत रहने के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 15 (2) के तहत अनिवार्य स्थानान्तरण।
11.	मनोज कुमार प्रजापति	गन्ना विकास परिषद लकसर हरिद्वार	गन्ना विकास परिषद किच्छा ऊधमसिंह नगर	10 वर्ष से अधिक समय तक एक जनपद हरिद्वार में कार्यरत रहने के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 15 (2) के तहत अनिवार्य स्थानान्तरण।
12.	मुकेश कुमार	गन्ना विकास परिषद लिब्वरहेड़ी हरिद्वार	गन्ना विकास परिषद किच्छा ऊधमसिंह नगर	10 वर्ष से अधिक समय तक एक जनपद हरिद्वार में कार्यरत रहने के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 15 (2) के तहत अनिवार्य स्थानान्तरण।
13.	पृथ्वी सिंह चौहान	गन्ना विकास परिषद लिब्वरहेड़ी हरिद्वार	गन्ना विकास परिषद बाजपुर ऊधमसिंह नगर	10 वर्ष से अधिक समय तक एक जनपद हरिद्वार में कार्यरत रहने के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 15 (2) के तहत अनिवार्य स्थानान्तरण।
14.	रईस अहमद	गन्ना विकास परिषद लकसर हरिद्वार	गन्ना विकास परिषद बाजपुर ऊधमसिंह नगर	10 वर्ष से अधिक समय तक एक जनपद हरिद्वार में कार्यरत रहने के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 15 (2) के तहत अनिवार्य स्थानान्तरण।
15.	रवि सैनी	गन्ना विकास परिषद इकबालपुर हरिद्वार	गन्ना विकास परिषद नादेही ऊधमसिंह नगर	10 वर्ष से अधिक समय तक एक जनपद हरिद्वार में कार्यरत रहने के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 15 (2) के तहत अनिवार्य स्थानान्तरण।
16.	सहेन्द्र कुमार	गन्ना विकास परिषद लकसर हरिद्वार	गन्ना विकास परिषद नादेही ऊधमसिंह नगर	10 वर्ष से अधिक समय तक एक जनपद हरिद्वार में कार्यरत रहने के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 15 (2) के तहत अनिवार्य स्थानान्तरण।
17.	सुनील कुमार	गन्ना विकास परिषद काशीपुर ऊधमसिंह नगर	गन्ना विकास परिषद लकसर हरिद्वार	10 वर्ष से अधिक समय तक एक जनपद ऊधमसिंह नगर में कार्यरत रहने के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 15 (2) के तहत अनिवार्य स्थानान्तरण।

*Handwritten signature*

18.	विनेश कुमार	गन्ना विकास परिषद लकसर हरिद्वार	गन्ना विकास परिषद नादेही ऊधमसिंह नगर	10 वर्ष से अधिक समय तक एक जनपद हरिद्वार में कार्यरत रहने के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 15 (2) के तहत अनिवार्य स्थानान्तरण।
19.	विनोद कुमार	गन्ना विकास परिषद नादेही ऊधमसिंह नगर	गन्ना विकास परिषद लकसर हरिद्वार	10 वर्ष से अधिक समय तक एक जनपद ऊधमसिंह नगर में कार्यरत रहने के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 15 (2) के तहत अनिवार्य स्थानान्तरण।
20.	विपिन चन्द्र पन्त	गन्ना विकास परिषद काशीपुर ऊधमसिंह नगर	गन्ना विकास परिषद लकसर हरिद्वार	10 वर्ष से अधिक समय तक एक जनपद ऊधमसिंह नगर में कार्यरत रहने के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 15 (2) के तहत अनिवार्य स्थानान्तरण।

सम्बन्धित कार्मिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 के अनुसार निर्धारित समयावधि 07 दिवस के अन्दर वर्तमान तैनाती स्थल से कार्यमुक्त होते हुये नव तैनाती जोन/स्थान पर अधिकतम 10 दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति की सूचना सम्बन्धित ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक को प्रस्तुत करेंगे।

(हिमानी पाठक)  
संयुक्त गन्ना एवं चीनी आयुक्त  
उत्तराखण्ड

कार्यालय आयुक्त गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग,  
उत्तराखण्ड, काशीपुर (ऊधमसिंह नगर)

पत्रांक 607/सी /स्था0/वा0स्था0 2024-25 दिनांक : 06 जुलाई 2024  
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. आयुक्त गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग उत्तराखण्ड।
3. अपर आयुक्त गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड काशीपुर।
4. सहायक गन्ना आयुक्त ऊधमसिंह नगर/हरिद्वार/देहरादून।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी ऊधमसिंह नगर/हरिद्वार/देहरादून।
6. समस्त ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सहायक गन्ना आयुक्त ऊधमसिंह नगर/हरिद्वार/देहरादून।
8. गार्ड पत्रावली।

himani 06/07/2024

संयुक्त गन्ना एवं चीनी आयुक्त  
उत्तराखण्ड

## आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 15 (2) के अन्तर्गत वर्ष 2024-25 में कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा उपलब्ध कराई गई संस्तुति दिनांक 30.05.2024 पर आयुक्त गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग उत्तराखण्ड के अनुमोदन के आलोक में निम्नानुसार कनिष्ठ सहायको का स्थानान्तरण स्तम्भ (3) से स्तम्भ (4) में उल्लिखित कार्यालय में करते हुए तैनाती प्रदान की जाती है:-

क्रमांक	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	स्थानान्तरण उपरान्त नव तैनाती स्थान	स्थानान्तरण का आधार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्रीमती पूजा भटनागर कनिष्ठ सहायक	कार्यालय आयुक्त गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग उत्तराखण्ड काशीपुर	कार्यालय सहायक गन्ना आयुक्त हरिद्वार	13 वर्ष से अधिक समय तक एक जनपद ऊधमसिंह नगर में कार्यरत रहने के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 15 (2) के तहत अनिवार्य स्थानान्तरण।
2.	श्री आशु कुमार कनिष्ठ सहायक	कार्यालय सहायक गन्ना आयुक्त हरिद्वार	कार्यालय सहायक गन्ना आयुक्त ऊधमसिंह नगर	08 वर्ष से अधिक समय तक एक जनपद हरिद्वार में कार्यरत रहने के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 15 (2) के तहत अनिवार्य स्थानान्तरण।

उक्त कार्मिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 के अनुसार निर्धारित समायावधि 07 दिवस के अन्दर वर्तमान तैनाती स्थल से कार्यमुक्त होते हुये नव तैनाती स्थान पर अधिकतम 10 दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति की सूचना सम्बन्धित सहायक गन्ना आयुक्त को प्रस्तुत करेंगे।

(हिमानी पाठक)

संयुक्त गन्ना एवं चीनी आयुक्त  
उत्तराखण्ड

कार्यालय आयुक्त गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग,  
उत्तराखण्ड, काशीपुर (ऊधमसिंह नगर)।

पत्रांक 608/र/स्था0/वा0स्था0 2024-25 दिनांक : 06, जुलाई 2024

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. आयुक्त गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग उत्तराखण्ड।
3. अपर आयुक्त गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड काशीपुर।
4. सहायक गन्ना आयुक्त ऊधमसिंह नगर/हरिद्वार।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी ऊधमसिंह नगर/हरिद्वार।
6. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सहायक गन्ना आयुक्त ऊधमसिंह नगर/हरिद्वार।
7. गार्ड पत्रावली।

06/07/2024

संयुक्त गन्ना एवं चीनी आयुक्त  
उत्तराखण्ड